न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील संख्या :-10/2019/टोंक (2019/00010)

कैलाश पारीक पुत्र सूरजकरण पारीक जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कासीर तहसील देवली जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

तहसीलदार (भू0अ0) देवली, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, देवली जिला टोंक दिनांक 26.09.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 1/2014.

उपस्थितः-

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट ।
2. श्री आकाश पारीक राजकीय पैरोकार.

निर्णय

दिनांक :- 18.11.2020

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, देवली, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आरजाजीयात ख0नं0 1495 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 1498 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 1500 रकबा 2.24 है0 व ख0नं0 1503 रकबा 0.59 है0 कुला किता 4 कुल रकबा 1.14 है0 वाके ग्राम कासीर तहसील देवली जिला टोंक में स्थित आराजीयात में नन्दकिशोर पुत्र जगन्नाथ पारीक निवासी कासीर का 1/4 हिस्सा था, जिसका वह रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार रहा है। नन्दकिशोर पुत्र जगन्नाथा के कोई पुत्र अथवा पुत्री संतान नहीं थी, वह लाऔलाद था। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाने के बाद वे अकेले थे। अपीलांट उसका सगा भतीजा है और उसने नन्दकिशोर की सेवा व सुश्रुषा की थी। इससे प्रसन्न होकर अपीलांट के पक्ष में दिनांक 25.05.2000 को 100/- रू0 के स्टाम्प पर एक वसीयतनामा रूबरू गवाहान के समक्ष अपीलांट के पक्ष में तहरीर करवाते हुए उस पर अंगूठा निशानी की थी। वसीयतकर्ता की दिनांक 28.04.2013 को मृत्यु होने के पश्चात अपीलांट ने तहसीलदार, देवली के समक्ष वसीयत के आधार पर खाते को नामांतरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.11.23 12:35:30 IST
Reason: SelfAttested

भरवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार, देवली द्वारा दिनांक 26.09.2017 को अपीलांट के आवेदन बाबत नामांतरकरण को उक्त निर्णय के द्वारा खारिज कर दिया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट अभि0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई । xx

3- विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र पर बहस में कथन किया कि अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.02.2019 को निर्णय की जानकारी दिये जाने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 04.022019 को नकलें प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 06.02.2019 को नकलें प्राप्त हुई। उसके बाद अपीलांट ने कानूनी सलाह लेने एवं खर्चे का इन्तजाम कर यह अपील पेश की है। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है। जिसे न्यायहित में क्षमा किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

4- प्रकरण में गुणावगुण पर अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश प्रार्थना पत्र नामांतरकरण योग्य अधिनस्थ तहसीलदार, देवली विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत है और निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार, देवली द्वारा उक्त अपीलाधीन आवेदन नामांतरकरण पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का गहनता पूर्व अध्ययन नहीं करके सरसरी तोर पर निर्णय पारित किया है। तहसीलदार, देवली द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र बाबत नामांतरकरण को खारिज करने का आधार यह माना है कि उक्त वसीयतनामा अनरजिस्टर्ड एवं 100 रूपये के स्टाम्प पर टाईप होने तथा भूमि स्वअर्जित न होकर पैतृक होने तथा वसयीकर्ता के नाम दर्ज खसरा नम्बर बीसलपुर परियोजना के डूब क्षेत्र में होने के कारण खारिज किया है। तहसीलदार, देवली द्वारा अपीलांट के आवेदन को खारिज करने में भूल की है, जिससे आदेश निरस्त योग्य है। अभि0 अपनी बहस में आगे कथन किया कि जिस व्यक्ति के कोई औलाद हीं नहीं है तो उसके द्वारा की गई वसीयत में वर्णित सम्पत्ति चाहे पैतृक ही क्यों नहीं हो, उसका मालिक, स्वामी वसीयतग्रहिता ही विधि अनुरूप होता है। स्वयं तहसीलदार, देवली ने सहखातेदारान को दिनांक 18.07.2014 को जरिये नोटिस तलब किया गया था जिस पर सूरजकरण, चान्दमल व अपीलांट के दिनांक 08. 05.2015 की आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकरण में वसीयतकर्ता नन्दकिशोर के जो सहखातेदारान चान्दमल, सूरजकरण के द्वारा अथवा उनके वारिसान के द्वारा उक्त वसीयत की गई सम्पत्ति के संबंध में कोई आपत्ति तहसीलदार, देवली के समक्ष पेश नहीं की गई है।

5- अपनी बहस जारी रखते हुए अपीलांट अभिभाषक ने आगे कथन किया कि अपीलांट ने अपने आवेदन की पुष्टि में असल वसयीतनामा, जमाबन्दी एवं मौखिक साक्ष्य में स्वयं अपीलांट एवं वसीयत [illegible] गहावान रिश्पाल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.11.23 12:35:30 IST
Reason: SelfAttested

कृष्णगोपाल जाट के बयान लेखबद्ध करवाये है और पत्रावली सन 2015 में साक्ष्य पूर्ण हो चुकी थी। तहसीलदार, देवली ने पत्रावली को बिना किसी कारण के वर्ष 2017 तक विचाराधीन रखा एवं दुर्भावना रखते हुए उक्त निर्णय पारित कर अपीलांट के आवेदन नामांतरकरण को खारिज किया है। निर्णय से पूर्व हल्का पटवारी ने उक्त विवादित आराजीयात के 1/4 हिस्से पर अपीलांट का कब्जा होना अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया है। इस प्रकार प्रकरण में भूमि पर अपीलांट का कब्जा साबित होने तथा किसी भी सहखातेदार अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं होने के बाद भी अपीलांट के आवेदन को निरस्त किया गया। तहसीलदार, देवली ने उक्त भूमि को अधिशाषी अभियन्ता के पत्र को आधार मानकर डूब क्षेत्र की मानते हुए प्रार्थना पत्र नामांतरकरण को खारिज किया है जबकि उक्त आराजीयात में वर्तमान में भी नन्दकिशोर, चान्दमल, सूरजकरण का नाम अंकित है। तहसीलदार, देवली को केवल मात्र वसीयत के आधार पर नन्दकिशोर के स्थान पर अपीलांट कैलाश के नाम नामांतरकरण भरना था परन्तु तहसीलदार ने दुर्भावना पूर्वक प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 26.09.2017 को अपास्त किया जावे । xx

6- विद्वान राजकीय पैरोकार ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है एवं मियाद प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुती में हुई देरी का कोई भी संतोषजनक एवं युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है। गुणावगुण पर कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 26.09.2017 में वसीयत अनरजिस्टर्ड होने, कृषि भूमि स्व अर्जित न होकर पैतृक होने तथा अधिशाषी अभियंता, निर्माण खण्ड तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार अपील में अंकित ख0नं0 1495 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 1498 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 1500 रकबा 2.24 है0 बीसलपुर परियोजना की आर.एल. 315. 50 मीटर की आंशिक डूब में होना व ख0नं0 1503 रकबा 0.59 है0 को बांध की अधिकतम भराव क्षमता आर.एल. 316.40 की डूब लाईन के पूर्ण अन्दर होना माना है। अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों को विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। तहसीलदार, देवली का निर्णय विधिसम्मत है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे । अपनी बहस के समर्थन में उन्होनें न्यायिक दृष्टान्त 2017 (2) आर0आर0टी0 1279, 2019 डी0एन0जे0 (एस0सी0) 1086 प्रस्तुत किये। xx

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दु से किसी प्रकरण का गुणावगुण पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.11.23 12:35:30 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8- प्रकरण में गुणावगुण पर हमनें पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार नन्दकिशोर पुत्र जगन्नाथ पारीक निवासी कासीर का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा था। अपीलांट द्वारा मृतक खातेदार की वसीयत दिनांक 25.05.2000 को 100/– रू0 के स्टाम्प पर अपने हक में तस्दीक किया जाना कथन किया है जोकि अपंजीकृत है। साथ ही अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पैतृक अथवा स्व अर्जित होने बाबत कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है एवं अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली के प्रमाण पत्र अनुसार ख0नं0 1495 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 1498 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 1500 रकबा 2.24 है0 बीसलपुर परियोजना की आर.एल. 315. 50 मीटर की आंशिक डूब में होना व ख0नं0 1503 रकबा 0.59 है0 को बांध की अधिकतम भराव क्षमता आर.एल. 316.40 की डूब लाईन के पूर्ण अन्दर होना माना है। इस प्रकार वसीयत अपंजीकृत होने तथा विवादित आराजी के स्वअर्जित एवं पैतृक होने बाबत दस्तावेजों के अभाव में तथा विवादित खसरा नम्बर बीसलपुर परियोजना के डूब क्षेत्र में होने के कारण उक्त आराजीयात को अपीलांट के नाम दर्ज किया जाना उचित नहीं है। अधी0न्याया0 के निर्णय में अभिलिखित विवेचन से हम सहमत है। अधी0न्याया0 (तहसीलदार, देवली जिला टोंक) के निर्णय में हमें कोई हस्तक्षेप करने का कोई विधिक कारण प्रतीत नहीं होता है ।

9- अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट निरस्त योग्य तथा तहसीलदार, देवली जिला टोंक का निर्णय दिनांक 26.09.2017 यथावत् योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 10/2019 (2019/00010) बउनवानी कैलाश बनाम तहसीलदार को निरस्त किया जाता है तथा विद्वान तहसीलदार (भू0अ0) देवली जिला टोंक द्वारा प्रकरण संख्या 1/2014 में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.11.23 12:35:30 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.11.23 12:35:30 IST
Reason: SelfAttested